न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 279/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 42/2026, आरक्षी केन्द्र समदडी,
CNR : RJBA010008832026

अशोक कुमार पुत्र पीराराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी चिरडीया, पुलिस थाना समदडी, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42/2026, पुलिस थाना समदडी, अपराध अन्तर्गत धारा 331(6), 304(2), 115(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री रतनलाल चौधरी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री यशपालसिंह चम्पावत, विद्वान अधिवक्ता, परिवादी की ओर से ।
3. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश –– दिनांक : 18.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.03.2026 को परिवादी राहुल ने थानाधिकारी, पुलिस थाना समदड़ी के समक्ष उपस्थित होकर एक टाइपशुदा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि, दिनांक 03.03.2025 को देर रात्रि 02.00 बजे यानी दिनांक 04.03.2026 को प्रातः 02.00 बजे उसकी माता 'P' व पिता भंवरलाल घर पर सो रहे थे। अशोक साई कैम्पर गाडी नंबर आर जे 19 जी जे 2020 लेकर उनके घर

आए, कैम्पर में सवार अशोक साई, राजूराम व श्रवण सभी पुत्रान सोनाराम और एक अन्य कैम्पर में अशोक पुत्र पीराराम व जीवाराम पुत्र रामाराम, हितेश पुत्र हनुमानराम व राजूगिरी गोस्वामी पुत्र श्रवणगिरी गोस्वामी व अन्य तीन लोगों ने कैम्पर गाड़ी से दरवाजा तोड़कर उसके घर में सो रहे माता–पिता पर योजनाबद्ध तरीके से जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार, लाठियाँ व लोहे के पाई एवं पिस्तोल लेकर घर में घुसकर इन सभी ने उसके माता–पिता पर हमला कर दिया जिससे उसके पिताजी का पैर फ्रैक्चर हो गया एवं हाथ पर भी गंभीर चोटें आई एवं उसकी माताजी को अभद्र भाषा से अपमानित कर उनके साथ भी मारपीट की जिससे पैर पर चोट लगी एवं उनके गले से सोने की 02 तोले की कंठी चुरा ली। मारपीट करने से उसके माता–पिता घायल होकर जमीन पर गिर गए । इस दौरान राहुल व उसके चाचा बाबूलालजी बीच–बचाव करने आए और उन्हें देख मुलजिमान भाग गए.....इत्यादि ।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना समदडी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42/2026 दर्ज की जाकर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका जमानत आवेदन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने पर यह जमानत आवेदन पेश किया गया है । घटना कारित किये जाने की तिथि एवं प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की तिथि निम्नानुसार हैः–

घटना की तिथि	गिरफ्तारी तिथि
04.03.2026	31.05.2026

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी को इस प्रकरण में रंजिशवश झूँठा संलिप्त किया है । प्रार्थी ने आहतगण के साथ कोई मारपीट नहीं की है ।

5. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी दिनांक 31.05.2026 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. विद्वान लोक अभियोजक व परिवादी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी घर में रात्रि में अनाधिकृत प्रवेश कर भंवरलाल व 'P' की लज्जा भंग करने का आरोप है । प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त अशोक कुमार का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	चालान नं.	कोर्ट निर्णय
1.	138/2018	341, 323/34 भा.दं.सं.	समदडी	85/29.10.2018	राजीनामा दिनांक 12.01.2019
2.	146/2021	341, 323 भा.दं.सं.	लुणी, जिला जोधपुर	101/30.09.2021	–
3.	186/2025	147, 148, 149, 341, 323, 365 भा.दं.सं.	समदडी	37/19.05.2025	–

8. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के घर में रात्रि में अनाधिकृत प्रवेश कर दरवाजा तोड़ने, 'P' की लज्जा भंग करने तथा 'P' व भंवरलाल के साथ मारपीट करने का आरोप है । आहत 'P' के चोट प्रतिवेदन में दो Abrasion तथा भंवरलाल के चोट प्रतिवेदन में कुल पॉच चोटें जिनमें Abrasion व Contusion होना बताया है । आहत भंवरलाल के शरीर पर पाई गई चोटों के संबंध में एक्सरे रिपोर्ट के अवलोकन से Left Tibia of Spine का अस्थिभंग होना बताया है उसके अलावा और कोई चोट गंभीर प्रकृति की होना नहीं बताई है । प्रार्थी दिनांक 31.05.2026 से अभिरक्षा में है तथा पूर्व की कोई दोषसिद्धि बाबत् साक्ष्य नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त अशोक कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

10. आदेश आज दिनांक 18.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.06.19 07:50:34 +0530